2992 - 1B Sales Deed Khasra No 399

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

रुड़की
कोड संख्या
26 MAY 2008
जिला हरिद्वार (उत्तराखंड)
XX 2006 - 2008

Surendra Kumar Saini
Advocate
Regn. No. 1634/83
Civil Court Roorkee

विक्रय विलेख का वांछित विवरण

1. विलेख पत्र का प्रकार :- विक्रय पत्र
2. प्रतिफल :- रू0 1,05,54,320-00(एक करोड पांच लाख चव्वन हजार तीन सौ बीस रूपये)
3. बाजारी मालियत :- रू0 1,05,54,320-00(एक करोड पांच लाख चव्वन हजार तीन सौ बीस रूपये)
4. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची से मालियत:- रू0 58,52,000-00(अट्ठावन लाख बावन हजार रूपये)
5. वास्तविक प्रतिफल एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यसूची के अनुसार मूल्यांकन में अन्तर(Difference):- रू0 47,02,320-00(सैंतालीस लाख दो हजार तीन सौ बीस रूपये)

For Alim Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

184 14 7/01

[illegible]

10 Rs.10

[illegible]

16 [illegible] 1996

जिला [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

रुड़की
कोड संख्या 560..

24 MAY 2008

XXXXXXXX
जिला हरिद्वार (...)
XX 2008 - 2009

6.	कुल वांछित स्टाम्प शुल्क-	रू0 5,74,245-00(पांच लाख चौहत्तर हजार दो सौ पैंतालीस रुपये)
7.	अनुबन्ध पत्र के समय अदा स्टाम्प शुल्क-	रू0 6,60,000-00(छः लाख साठ हजार रुपये)
8.	वर्तमान में अदा स्टाम्प शुल्क-	वांछित स्टाम्प शुल्क से अधिक का स्टाम्प शुल्क अनुबन्ध पत्र के पंजीकरण के समय क्रेता द्वारा अदा किया जा चुका है। फिर भी वर्तमान में रू0 200-00 का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।
9.	स्टाम्प सीटो की संख्या :-	20 सीट

10. क्या क्रेता एवं विक्रेता के मध्य अनुबन्ध हुआ है:- क्रेता एवं विक्रेता के मध्य विक्रीत भूमि का अनुबन्ध पत्र उपनिबन्धक कार्यालय द्वितीय रुड़की में दिनांक 19-03-2008 को निष्पादित कर बही नम्बर 1, जिल्द 272, पृष्ठ 239 से 264 में नम्बर 1363 पर दिनांक 19 मार्च 2008 को पंजीकृत है।

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

प्रलेख नः 2,992

SALE (IMMOVABLE)

SALE AFTER AGREEMENT

10,554,320.00 मालियत (स्टाम्प दिया ग

रजिस्ट्रेशन फीस   पैस्टिंग शुल्क   Electronic Processine Fee   कुल योग

5,000.00   20.00   420.00   5,440.00

श्री / श्रीमती / कुमारी   मर्क इलेक्ट्रोनिक्स लि0 द्वारा राजेश राधा कृष्णन

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री   पी0 आर0 नायर

निवासी   मर्क इलेक्ट्रोनिक्स लि0 रायपुर परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार

ने आज दिनॉक   14-07-2008   समय   15:40:58

कार्यालय उप निबन्धक   SRO Roorkee 02

में प्रस्तुत की।

उपनिबंधक   SRO Roorkee 02

इस लेखपत्र का निष्पादन सुन व समझकर व विक्रय धन / अग्रिम धन / नगद रु0   10,554,320.00

लेखानुसार प्राप्त करके श्रीकृपाल सिंहs/o स्व0 धूम सिंह , दहियाकी परगना मंगलौर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार

स्वीकार किया ।

सम्पादन श्री   मर्क इलेक्ट्रोनिक्स लि0 द्वारा राजेश राधा कृष्णनs/o श्री पी0आर0 नायर मर्क इलेक्ट्रोनिक्स लि0 रायपुर परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार

किया ।

सकी पहचान .....

अशोक कुमार   पुत्र श्री   चौधरी श्याम सिंह

वासी   35,सिविल लाईन रुड़की

एस.के.शुक्ला   पुत्र श्री   टी.आर.शुक्ला

वासी   158,रायपुर परगना भगवानपुर

की ।

उपनिबंधक   SRO Roorkee 02

विक्रेता एवं साक्षियों के चिन्ह अंगूठे नियमानुसार लिए गये ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

26 MAY

11. भूमि क्रय करने का प्रयोजन:- विक्रीत भूमि वर्तमान में कृषि भूमि है परन्तु औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है.

12. मुख्य मार्ग से दूरी:- विक्रीत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग रुड़की-दिल्ली से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है तथा गांव के मुख्य मार्ग से 1किमी0 की दूरी पर है

13. विवरण सम्पत्ति:- भूमि खाता संख्या-34 खसरा संख्या-399 जिसका कुल क्षेत्रफल 1.064 हेक्टेयर है, जो उसका कुल 1/2 (अविभाजित भाग अर्थात 0.532 हेक्टेयर, स्थित ग्राम मुण्डियाकी परगना मंगलौर तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।

14. वार्षिक भू-राजस्व:- रु0 23.80-00 जिसके आठ सौ गुणा से मालियत रु0 19,040/- बनती है।

147/00

184

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी

हरिद्वार

कोड संख्या 5500

26 MAY 2008

XXXXXXXXXX

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

2008 - 2009

15. स्टाम्प शुल्क हेतु स्पष्ट विवरण- यह कि जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यसूची के पृष्ठ 31, क्रमांक 28 के अनुसार कृषि भूमि की दर रू0 12,25,000-00 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। परन्तु भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। जिसकी दर पृष्ठ 40, क्रमांक 1 के अनुसार रू0 1000-00 प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। परन्तु विक्रीत भूमि के दो ओर चकरोड है। इसलिये 10 प्रतिशत अतिरिक्त सम्मिलित करते हुये रू0 1100-00 प्रतिवर्गमीटर बनती है, जिसके अनुसार विक्रीत भूमि की मालियत रू0 58,52,000-00(अट्ठावन लाख बावन हजार रूपये) बनती है। परन्तु वास्तविक प्रतिफल रू0 1,05,54,320-00(एक करोड पांच लाख चव्वन हजार तीन सौ बीस रूपये) का क्रेता एवं विक्रेता के मध्य अनुबन्ध पत्र के अनुसार निर्धारित है। वास्तविक प्रतिफल एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यसूची के अनुसार मालियत में रू0 47,02,320-00(सैंतालीस लाख दो हजार तीन सौ बीस रूपये) का अन्तर (Difference) है। इसलिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या **74(1)/XXVII(9) Stamp/2008 issued by Uttarakhand State Government dated 25.4.2008** के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची से मूल्यांकन पर 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क एवं अन्तर(Difference) पर 3.5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क निम्न प्रकार अदा किया जा रहा है।

अ. [illegible]

रू0 1,05,54,320-00(एक करोड पांच लाख चव्वन हजार तीन सौ बीस रूपये) है।

ब. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची से मालियत:-

रू0 58,52,000-00(अट्ठावन लाख बावन हजार रूपये) पर 7 प्रतिशत की दर से रू0 4,09,640-00(चार लाख नौ हजार छः सौ चालीस) का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

184   14/7/09

19

...सदर

भारतीय गैर न्यायिक

सत्यमेव जयते

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

★★★कोषाधिकारी ★★★

रुड़की

कोष संख्या 6500

26 MAY 2008

XXXXXXXXXX

जिला-हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

XX 2008 - 2009

स. अन्तर(Difference):- रु0 47,02,320-00(सैंतालीस लाख दो हजार तीन सौ बीस रुपये) पर 3.5 प्रतिशत की दर से रु0 1,64,605-00(एक लाख चौसठ हजार छः सौ पांच) का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

द. कुल स्टाम्प शुल्कः- रु0 5,74,245-00(पांच लाख चौहत्तर हजार दो सौ पैंतालीस) अपेक्षित है। परन्तु क्रेता द्वारा अनुबन्ध पत्र के पंजीकरण के समय रु0 6,60,000-00 का स्टाम्प शुल्क अदा किया हुआ है। इसलिये वर्तमान में कोई स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं है। फिर भी रु0 200-00 का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

16. भूमि आवास एवं विकास शुल्क की सीमा से बाहर है।

17. विक्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नहीं है।

18. विक्रीत भूमि पट्टे की भूमि नहीं है।

19. चकबन्दी चल रही है अथवा नहीं:- नहीं

For the [illegible]

184 ....14/7/09

184

रुड़की

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

24 MAY 2008

हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

2008 - 2009

20. क्रेता उत्तराखण्ड राज्य से बाहर की कम्पनी है, जिसने भूमि क्रय करने से पूर्व उ0प्र0(उत्तराखण्ड) ज0वि0 एवं भू0 व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(4)(3)(क) की अनुमति संख्या 414भू0क्रय/18(2)/2007-01(50)/2008 दिनांक 17-06-2008ई0 को प्राप्त कर ली है। छाया प्रति संलग्न है।

21. यह कि क्रेता विक्रीत भूमि अनुमति प्राप्त करने के बाद क्रय कर रहा है तथा उद्योग स्थापित करने के बाद नियमानुसार 70 प्रतिशत नियमित रोजगार सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगो को उपलब्ध करायेगा।

22. विक्रय पत्र के बाद क्रेता विक्रीत भूमि में विशेष श्रेणी का संक्रमणीय भूमिधर बना रहेगा।

23. विक्रेता का नाम व पता :- श्री कुशाल सिंह पुत्र स्व0 श्री धून सिंह निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) विक्रेता कृषक है तथा स्थाई लेखा सं0 नही है। प्रारूप 61 संलग्न है।

24. क्रेता-कम्पनी का नाम व पता:- मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत एक विधिवत् पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओनिडा हाऊस, जी-1 एम0आई0डी0सी0 महाकाली केव्स रोड अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश सथा कृष्णण, पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड, कम्पनी का स्थाई लेखा संख्या AAACM8055A है।

For Mirc Electronics Ltd, Uttaranchal

Authorised Signatory

184 14/07/2011

107

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

786765

24 MAY 2008

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

2008 - 2009

विक्रय विलेख

यह विक्रय-विलेख आज दिनांक 14-07-2008 को स्थान रुड़की, जिला हरिद्वार में श्री कृपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री धूम सिंह निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) जिसको इस विलेख में विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है)।

.....विक्रेता

तथा

मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत एक विधिवत् पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओनिडा हाउस, जी-1 एम0आई0डी0सी0 महाकाली केव्स रोड अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णन पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड (जिनको इस विलेख पत्र में क्रेता-कम्पनी कहकर सम्बोधित किया गया है) के मध्य में अंकित व निष्पादित किया गया।

.........क्रेता

For Mirc Electronics Ltd. Uttarakhand

Authorised Signatory

184 ...... 14/7/2020

10

मजिस्ट्रेट रुड़की जिला हरिद्वार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी

रूड़की

26 MAY 2008

हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

2008 - 2009

-8-

जैसा कि ग्राम मुन्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 के अर्न्तगत कृषि सम्बन्धी जोतों की चकबन्दी के व्यवस्था से आच्छादित हो गया, उक्त अधिनियम की धारा-27 (1) के अर्न्तगत विधिवत राजस्व अभिलेखों का निर्माण हुआ तथा धारा 27 (2) के अर्न्तगत उक्त राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियां सत्य व ठीक तथा प्रमाणित मानी जावेगी।

और जैसा कि श्री जगराम पुत्र श्री दादाम सिंह, श्री धूम सिंह पुत्र श्री जगराम सिंह, श्री गोकुल पुत्र श्री जगराम इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी, भूमिधर व अध्यासी रहे है। क्षेत्र में चकबन्दी की व्यवस्था होने पर 1397 फसली में प्रथम चकबन्दी की व्यवस्था हुयी और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा-27 सपठित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली 1954 के नियम 97 के अर्न्तगत श्री जगराम पुत्र श्री दादाम सिंह, श्री धूम सिंह पुत्र श्री जगराम सिंह, श्री गोकुल पुत्र श्री जगराम का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हुआ।

और जैसा कि 1397 फसली से पूर्व श्री जगराम सिंह, श्री धूम सिंह तथा श्री गोकुल सिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित रहे और उनका पुरातन खसरा संख्या-762(मि0), खसरा संख्या-765(मि0), खसरा संख्या-766(मि0), खसरा संख्या-767(मि0) खसरा संख्या-768/1 (मि0), खसरा संख्या-768/2 (मि0), खसरा संख्या-769/1(मि0), खसरा संख्या-769/2(मि0) अंकित रहे और वह परिवर्तित होकर नया खसरा संख्या-399 के नाम से पहचाने गये।

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

184 14/7/2001

184

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

26 MAY 2008

XX 2008 - 2009 ++

-9-

और जैसा कि फसली वर्ष 1397 से पूर्व श्री धूम सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह का नाम अभिलेखित था और यह नाम 1400-1405 फसली तक प्रदर्शित रहा।

और जैसा कि श्री धूम सिंह का देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी श्री कृपाल सिंह व श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व0 श्री धूम सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में, राजस्व भू-लेख अधिकारी, मंगलौर, रुड़की, जिला हरिद्वार के आदेश दिनांक 25-04-1995 के द्वारा परिवर्तित हुआ।

और जैसा कि वर्तमान में विक्रेता श्री कृपाल सिंह तथा उनके भाई / सहखातेदार श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व0 श्री धूम सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में प्रदर्शित है।

और जैसा कि विक्रेता इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति में 1/2 भाग अर्थात 0.5320 हैक्टेयर का स्वामी अध्यासी है।

और जैसा कि क्रेता-कम्पनी ने इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रय करने हेतु श्री राजेश राया कृष्णन, पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मेवं इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा संख्या-156 ग्राम भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा है तथा उनके पक्ष में प्रस्ताव दिनांक 27 दिसम्बर 2007ई0 को पारित कर रखा है।

और जैसा कि विक्रेता वर्तमान विक्रय विलेख के माध्यम से अपने भाग में आयी सम्पत्ति (1/2 अविभाजित भाग) अर्थात 0.532 हैक्टेयर क्रेता-कम्पनी को विक्रीत कर रहा है।

For Moser Baer Electronics Ltd.

Authorised Signatory

184 ... 15/7/2017

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

★★★ कोषागार ★★★
रुड़की
कोड संख्या 5500
2_ MAY 2008
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
2008 - 2009

और जैसा कि विक्रेता का स्वामित्व इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति के विषय में पवित्र है तथा विक्रेता के पास बाज में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में गृहित नहीं है सम्पत्ति स्पष्ट स्वामित्व की है। इस सम्पत्ति पर कोई भार, अधिभार, बन्धन, धरोहर व गिरवी तथा ऋण नहीं है। यह सम्पत्ति किसी स्था पर दबाव नहीं है। विक्रेता को इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति विक्रीत करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

और जैसा कि क्रेता-कम्पनी इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को अंकन **1,05,54,320/- रुपये** (एक करोड़ पां **लाख चौवन हजार तीन सौ बीस रुपये मात्र**) की धनराशि में क्रय करने को तैयार हैं और विक्रेता इस विलेख की सूची में व सम्पत्ति को उपरोक्त धनराशि में विक्रीत करने को तैयार है।

अतः यह विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है :-

(1) यह कि मैं उपरोक्त विक्रेता **श्री कृपाल सिंह** पुत्र स्व0 श्री धूम सिंह निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़ जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड), इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को क्रेता-कम्पनी **मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटे** कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत एक विधिवत् पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओनिडा हाउस, जी एम0आई0डी0सी0 महाकाली केव्स रोड अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई **द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णन,** श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रुड़ जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को **अंकन 1,05,54,320/- रुपये** (एक करोड़ पांच लाख चौवन हजार तीन सौ बी **रुपये मात्र**) में विक्रीत, अन्तरित तथा हस्तान्तरित करता हूं तथा सम्पत्ति पर स्वामी के रूप में क्रेता-कम्पनी महोदय को आ

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

18५ 14/7/09

12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

26 MAY 2008

2008 - 2009

करता हूं। सम्पत्ति का वास्तविक अध्यासन स्थल पर विक्रेता ने क्रेता-कम्पनी को स्थल पर सौंप दिया है तथा सम्पत्ति पर आरूढ़ कर दिया है। विक्रय प्रतिफल की धनराशि **अंकन 1,05,54,320/- रुपये (एक करोड़ पांच लाख चौवन हजार तीन सौ बीस रुपये मात्र)** विक्रेता ने क्रेता-कम्पनी से निम्नानुसार प्राप्त कर लिये हैं :-

क- विक्रेता ने अंकन रु0 26,39,000-00(छब्बीस लाख उनतालीस हजार रुपये) बजरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0 000695 दिनांक 19-03-2008, द्वारा एच0डी0एफ0सी0 बैंक, रुड़की, जिला हरिद्वार, अनुबन्ध पत्र के समय प्राप्त कर लिये थे।

ख- विक्रेता ने अंकन 79,15,320-00(उन्यासी लाख पन्द्रह हजार तीन सौ बीस) रुपये बजरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0-000923, दिनांक 14-07-2008, द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक रुड़की जिला हरिद्वार, के द्वारा प्राप्त कर लिये है।

जिसकी प्राप्ति विक्रेता उपनिबन्धक रुड़की, जिला हरिद्वार के कार्यालय में एतद्द्वारा स्वीकार करता है और विक्रय प्रतिफल की एवज् में कोई लेना-देना शेष नहीं रह गया है और न ही भविष्य में होगा।

(2) यह कि पूर्ण स्पष्टीकरण हेतु विक्रेता निम्नानुसार स्पष्ट करता है :-

(क) यह कि विक्रेता ने इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का वास्तविक अध्यासन क्रेता-कम्पनी को स्थल पर सौंप दिया है तथा सम्पत्ति पर आरूढ़ कर दिया है।

क्र. 184 दिनांक 14/7/07

स्टाम्प 10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

2 6 MAY 2008

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

XX 2008 - 2009 + +

-12-

(ख) यह कि यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित है कि विक्रेता वर्तमान विक्रय विलेख के माध्यम से अपने भाग में आयी र
यह कि यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित है कि विक्रेता वर्तमान विक्रय विलेख के माध्यम से अपने भाग में आयी र (1/2 अविभाजित भाग) अर्थात 0.532 हैक्टेयर क्रेता-कम्पनी को विक्रीत कर रहा है।

(ग) यह कि विक्रीत सम्पत्ति के आज तक के समस्त कर एवं भू-राजस्व का भुगतान विक्रेता करेगा और आज के समस्त कर एवं भू-राजस्व का भुगतान क्रेता-कम्पनी करेगी।

(घ) यह कि विक्रीत सम्पत्ति पर वर्तमान में कोई भार, अधिभार, भग नहीं है और यह सम्पत्ति किसी स्थान पर ब बन्धक नहीं है। यह सम्पत्ति विवाद व प्रत्येक प्रकार के न्यायालय के विवाद से मुक्त है। सम्पत्ति स्पष्ट स्वामित्व

(ङ) यह कि विक्रीत सम्पत्ति के साथ उपलब्ध व संलग्न समस्त सुखाधिकार व अधिकार जो वर्तमान में वि: उपलब्ध है और जो भविष्य में विक्रेता को उपलब्ध हो सकते हैं, वह भी क्रेता-कम्पनी को अन्तरित किये जा र

(च) यह कि यदि किसी समय पूर्ण स्वामित्व व स्पष्ट स्वामित्व के लिए क्रेता-कम्पनी को विक्रेता की सहायता की आ पड़ी और विक्रेता द्वारा क्रेता-कम्पनी के पक्ष में अन्य कोई पत्र व प्रपत्र अंकित करने की आवश्यकता पड़ी तो क्रेता-कम्पनी की मांग पर व क्रेता-कम्पनी के व्यय पर उपरोक्त प्रपत्र अंकित व निष्पादित करेगा तथा उसका कार

(छ) यह कि यदि विक्रीत सम्पत्ति या उसका कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व दोष के कारण या विक्रेता के किसी अन कारण क्रेता-कम्पनी के अधिकार से निकल जाता है तो विक्रेता उसका पर्याप्त हर्जाना मय निर्माण लागत क्रे को अदा करेगा।

For Mirc Electronics Ltd. Unit

Authorised Signat

124

14/9/07

102

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

रुड़की
कोड संख्या 1500
2? MAY 2008
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
2008 - 2009

-13-

(ञ) यह कि क्रेता-कम्पनी ने औद्योगिक उत्थान एवं भूमि के क्रय करने हेतु उत्तराखण्ड शासन से उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड जमी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (यथासंशोधित उत्तरांचल अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) तथा उत्तरा अधिनियम संख्या-12 वर्ष 2006 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0-1 वर्ष 2007) के प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि क्रय द से पूर्व उ0प्र0(उत्तराखण्ड) ज0वि0 एवं भू0 व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(4)(3)(क) की अनुमति स 414भू0क्रय/18(2)/2007-01(50)/2008 दिनांक 17-06-2008ई0 को प्राप्त कर ली है। इस प्रकार इस वि की सूची में वर्णित सम्पत्ति को विक्रीत, अन्तरित व हस्तान्तरित करने में विक्रेता उक्त अधिनियम के प्राविधानों का उ नहीं कर रहा है।

(झ) यह कि सम्पत्ति का स्वामित्व अविभाजित है, परन्तु उसका अध्यासन विशिष्ट सम्पत्ति पर है, उसकी सीमाएं सुनि नहीं है।

(ण) यह कि सूची में वर्णित सम्पत्ति पर वर्तमान में कोई फसल नहीं है तथा विक्रेता ने स्थल पर क्रेता महोदय का कब्जा तमाम पूर्ण रूप से करा दिया है। अब मेरा या मेरे उत्तराधिकारीगण का कोई सम्बन्ध या वास्ता विक्रीत सम्पत्ति से प्रकार का नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा।

(3) यह कि सम्पत्ति ग्राम मुन्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस विलेख की में वर्णित सम्पत्ति नगर निगम / नगरपालिका की सीमा से बाहर स्थित है। इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का 0.532 हेक्टेयर है। इस सम्पत्ति के विषय में पंजीकृत विक्रय संविदा-पत्र दिनांक 19-03-2008 के अन्तर्गत

18৫ 1৭/৭/০৭

6146

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

772

कोड संख्या 4500

24 MAY 2009

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

2008 - 2009

-14-

1,05,54,320/- रूपये में अनुबन्ध हुआ था। वही सम्पत्ति का वास्तविक तथा सत्य मूल्यांकन है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति
का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलक्टर हरिद्वार द्वारा निर्मित, भूमि एवं सम्पत्ति
मूल्यांकन सूची 2008 के अन्तर्गत सम्पत्ति का शासकीय मूल्यांकन रू0 1000-00/- रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। पर
निर्मित भूमि के दो ओर सड़क है। इसलिये 10 प्रतिशत अतिरिक्त सम्मिलित करते हुये शासकीय मूल्यांकन रू0 1100-
प्रतिवर्गमीटर आता है। विक्रेता व क्रेता-कम्पनी के मध्य इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक पंजीकृत वि
संविदा-पत्र (अध्यासन रहित) दिनांक 19-03-2008 को अंकित व निष्पादित हो रखा है, जिसका पंजीकरण कार्यालय उपनिबन्ध
रुड़की, जिला हरिद्वार के कार्यालय में बही संख्या-1, जिल्द संख्या-272 के पृष्ठ संख्या-239 से 264 में क्रमांक संख्या-1
पर दिनांक 19-03-2008 को पंजीकृत हुआ, जिसमें क्रेता-कम्पनी ने अंकन 6,60,000/- रूपये का स्टाम्प शुल्क समर्पित
रखा है। इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति विक्रय संविदा-पत्र दिनांक 19-03-2008 के तारतम्य में अंकन 1,05,54,32
रूपये की धनराशि में विक्रीत की जा रही है। अधिकतम शासकीय मूल्यांकन पर अंकन रू0 4,09,640-00 रूपये का स्टाम्प शु
निर्धारित होता है, तथा अन्तर पर रू0 1,64,605-00 रूपये का स्टाम्प शुल्क निर्धारित होता है। इस प्रकार कुल
5,74,245-00 का स्टाम्प शुल्क निर्धारित होता है। परन्तु क्रेता-कम्पनी के पंजीकृत विक्रय संविदा दिनांक 19-03-2008 में अ
रू0 6,60,000-00 रूपये का स्टाम्प शुल्क समर्पित कर रखा है, जो कि विक्रय विलेख में समायोजित होता है, अतः क्रेता-क
द्वारा नियमानुसार कोई स्टाम्प शुल्क अदा नहीं करना है। परन्तु फिर भी रू0 200-00 का अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क समर्पित

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

१८४ १४/७/०८

१०

उपजिलाधिकारी रुड़की जिला हरिद्वार

6156

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये — TEN RUPEES

रु.10 — Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी
रूड़की
कोड संख्या 5500
24 MAY 2008
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
2008 - 2009

-15-

जा रहा है। सम्पत्ति अन्तरण में कोई वैध बाधा नहीं है। सम्पत्ति नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1976 तथा उत्तर प्रदेश ग्रामीण भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1960) (यथाअंगीकृत व संशोधित उत्तराखण्ड राज्य) के प्राविधानों से मुक्त है।

(4) यह कि विक्रेता व क्रेता-कम्पनी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं है। सम्पत्ति पर कोई वृक्ष, बाग या निर्माण आदि नहीं है। भूमि पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1960) (यथाअंगीकृत व संशोधित उत्तराखण्ड राज्य) लागू नहीं होता है। विक्रेता द्वारा विक्रय विलेख अंकित व निष्पादित करने में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है और विक्रेता वर्तमान विक्रय-विलेख अंकित व निष्पादित करने हेतु सक्षम है।

(5) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि नगर निगम / नगर पालिका रूड़की, जिला हरिद्वार की सीमा से बाहर स्थित है। क्रेता-कम्पनी के पास उत्तराखण्ड राज्य में खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड औद्योगिक भूमि/सम्पत्ति है, जिस कारण वर्तमान विक्रय विलेख के निष्पादन से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (यथासंशोधित उत्तरांचल अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) तथा उत्तरांचल अधिनियम संख्या-12 2006 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0-1 वर्ष 2007) के प्राविधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो रहा है।

(6) अतः यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता ने अपनी मन, बुद्धि व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर दबाव के स्वेच्छा से कुल उपरोक्त वर्णित मूल्यराशि क्रेता महोदय से प्राप्त करके स्वेच्छा से लिख दिया ताकि प्रमाण रहे।

184 14 /07

12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

26 MAY 2008

-16-

2008-2009

(7) यह कि इस विक्रय विलेख में जहां-जहां शब्द "विक्रेता" एवं "क्रेता" आया है, उससे उसका तात्पर्य व अर्थानुसार उसके हि प्रतिनिधि, अन्तरिती, वारिसान, प्रतिनिधि व दायाद से लगाया जावेगा व समझा जावेगा।

सूची सम्पत्ति

भूमि खाता संख्या-34 खसरा संख्या-399 जिसका कुल क्षेत्रफल 1.0640 हेक्टेयर है, का 1/2 अविभाजित भाग अर्थात 0.53 हेक्टेयर, स्थित ग्राम मुन्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड), कि जो संलग्न मानचित्र में शब्द अ,ब,स [illegible] की रेखाओं से रेखांकित किया गया था है, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार है :-

पूरब में :- खसरा संख्या 441 चकमार्ग

पश्चिम में :- शेष खसरा संख्या 399 जो सहखातेदार सुरेन्द्र सिंह के अधिपत्य में है।

उत्तर में :- खसरा संख्या 398 नाली व उसके बाद खसरा संख्या 397 चकमार्ग है।

दक्षिण में :- खसरा संख्या 441 चकमार्ग व उसके बाद खसरा संख्या 400 व 401 है।

For Mire Electronics Ltd. Uttaranch

Authorised Signatory

184 14/7/09

187

जिला हरिद्वार

दस रुपये
रू. 10
भारत
TEN RUPEES
Rs.10
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

कोषागार रुड़की
कोड. 5500
-17- 26 MAY 2008
× × 2008 - 2009 + +

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु:-

विक्रेता का नाम :- श्री कृपाल सिंह

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिह्न

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

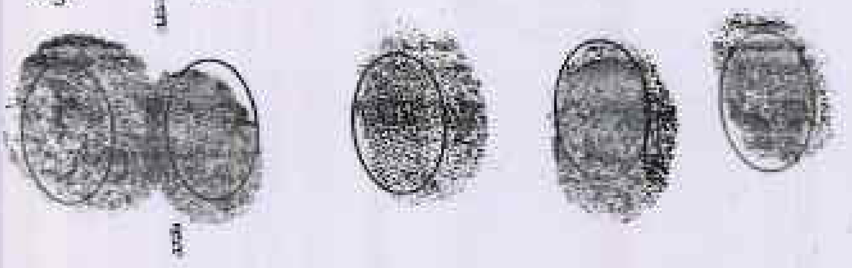

बायें हाथ की अंगुलियों के चिह्न

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

श्री कृपाल सिंह
विक्रेता

For Mirc Electronics Ltd. Uttaran

Authorised Signa

1014 ... 15/7/08

जिला

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

कोड संख्या 5500

24 MAY 2008

-18-

XXXXXXXXXX

2008 - 2009

क्रेता का नाम :- मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णन

क्रेता मय बायें हाथ की अंगुलियों के चिह्न

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

क्रेता मय दायें हाथ की अंगुलियों के चिह्न

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

For Merc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि
श्री राजेश राधा कृष्णन
क्रेता

184 ...... 15/7/04

10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

26 MAY 2008

2008 - 2009

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

-19-

साक्षीगण :-

(1) [illegible]
[illegible] Singh
[illegible] Civil lines
Roorkee

(2) S.K. SHUKLA
S/o Sh. T. R. Shukla
[illegible] Roorkee

104 147/07

107

जिला

भारत ... न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोड संख्या 5500

26 MAY 2008

20

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

2008 - 2009

Authorised Signatory

पक्षकारों के निर्देश पर तथा उन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर इस प्रपत्र की रचना मेरे कार्यालय में की गयी तथा इसका कम्प्युटीकरण मेरे निर्देशन में मौहम्मद शहजाद के द्वारा किया गया। पक्षकारों ने एक दूसरे की पहचान की तथा पक्षकारों ने स्वयं के विवरण स्वयं पुष्ट किये।

दिनांक:- 14-07-2008

ड्राफ्टिडबाई:- सतेन्द्र कुमार गर्ग एडवोकेट चैम्बर नं0 28, रुड़की, जिला हरिद्वार।

टाईपिस्ट:- मौ0 शहजाद।

Photo & Certificate

14-जुलाई-2008

Seller

Buyer

Witness

Witness I

वही नम्बर	1	जिल्द	352	पृष्ठ	133 से 174

मे नम्बर 2,992 पर आज दिनांक 14-जुलाई-2008 मे रजिस्ट्री की गयी।

उप निबन्धक SRO2 Roorkee

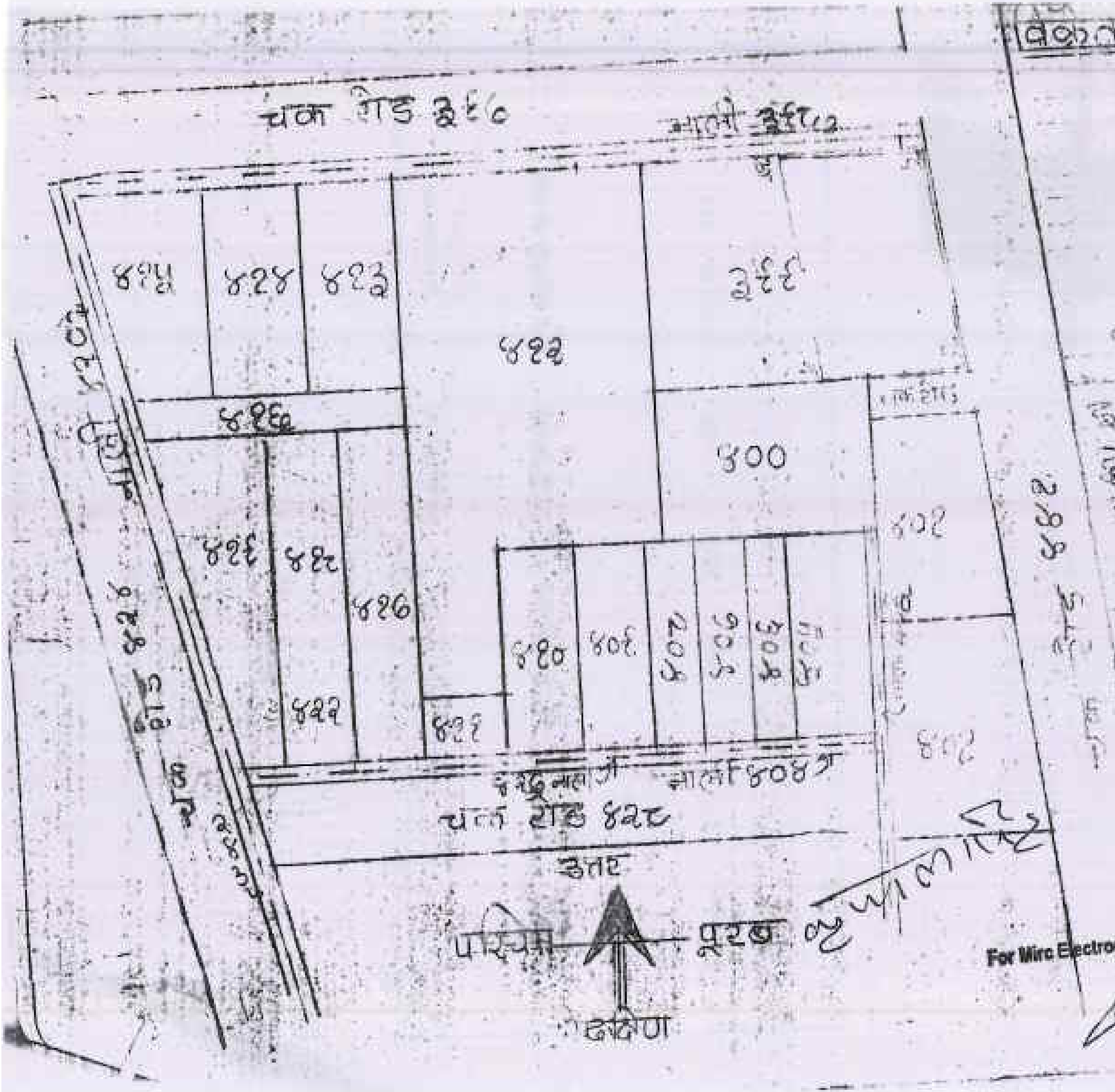

नोट :- मिर्क
इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
द्वारा श्री हरिश टंडन कुमार
विक्रय प्रतिनिधि

स्थल ग्राम बुग्गावाली
हल्का
रुड़की
जिला हरिद्वार
उत्तरांचल

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal
Authorised Signatory

Radhey Shyam
Arch. Consultant
660, West Amber Talab
Roorkee

14-जुलाई-2008

Seller

Buyer

Witness

Witness 1

बही नम्बर	1	जिल्द	352	पृष्ठ	133	से	174

मे नम्बर 2,992 पर आज दिनांक 14-जुलाई-2008 मे रजिस्ट्री की गयी।

उप निबन्धक SRO2 Roorkee